

संख्या I-23/2017/क्रय
क्रय अनुभाग
वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून

दिनांक 07.08.2020

रोवा में,

समूह समन्वयक, समस्त विभागाध्यक्ष,
डीन, कुलपति व.अ.स. सम विश्वविद्यालय, पुस्तकालयाध्यक्ष, रा.व.पु.सू.केंद्र
कुलपति व.अ.स., प्रभारी चिकित्सा अधिकारी नव वन चिकित्सालय

विषय- GFR 2017 के अनुसार बिना कोटेशन के रु 25000/- तक के सामान की खरीद के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में

GFR 2017 के नियम 154 के अनुसार- रु 25000/- तक के सामान बिना कोटेशन अथवा बोली आमंत्रित किये प्रमाण पत्र के आधार पर खरीदे जा सकते हैं। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त खरीद हेतु आपूर्ति आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है, हालाँकि आपूर्तिकर्ता द्वारा मांगे जाने पर आपूर्ति आदेश जारी किया जा सकता है। अतः इस प्रकार की खरीद हेतु सभी अर्ह क्रेता, स्टॉक एंट्री तथा अनुलग्नक -7 (संस्थान की वेबसाइट में उपलब्ध) के प्रमाण पत्र के साथ इन्वॉइस/बिल को भुगतान/प्रतिपूर्ति हेतु लेखा अनुभाग में भेजेंगे।

As per rule 154 of GFR 2017- *Purchase of goods upto the value of Rs 25000/- only may be made without inviting quotation or bids on the basis of a certificate.* In this connection, it is hereby clarified that there is no need of issuing supply order for such purchases. However supply order can be issued if it is demanded by the supplier. Therefore, all the eligible buyers are required to send the Invoice/Bill of such purchases to Accounts Section for payment/reimbursement after stock entry and certification as per Annexure-7 (available in FRI website).

यह परिपत्र निदेशक व.अ. स. की संस्तुति उपरांत जारी किया गया है।



क्रय अधिकारी

वन अनुसंधान संस्थान

प्रतिलिपि

- 1- निजी सहायक, निदेशक व.स .अ.
- 2- लेखाधिकारी, व.स .अ.